



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2444]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 2010/अग्रहायण 10, 1932

No. 2444]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2010/AGRAHAYANA 10, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2882(अ).—जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5क के उप-खण्ड (1) के साथ पठित उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के निम्नलिखित व्यक्तियों को इसके सदस्यों के रूप में सम्मिलित करके इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पुनर्गठन करती है, नामशः—

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली | सदस्य पदेन धारा 5(1)(क) के अधीन |
| 2. पशु पालन आयुक्त, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली | सदस्य पदेन धारा 5(1)(ख) के अधीन |
| 3. श्री सदा कान्त, संयुक्त सचिव (पुलिस-2)—गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(खक) के अधीन |
| 4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(खक) के अधीन |
| 5. श्री ए. के. श्रीवास्तव, वन महानिरीक्षक (वन्य जीव), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | सदस्य धारा 5(1)(खख) के अधीन |
| 6. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त), डॉ. आर. एम. खरब, ए वी एस एम, 3767, सेक्टर-23, गुडगाँव-122017 | सदस्य धारा 5(1)(खग) के अधीन |
| 7. डॉ. एस. चिन्नी कृष्णा, 398, टी टी के रोड, चैन्नई-600018 | सदस्य धारा 5(1)(खग) के अधीन |
| 8. सुश्री जसजीत पुरेवाल, बी-5/197, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली-110029 | सदस्य धारा 5(1)(खग) के अधीन |
| 9. डॉ. अरूण वर्मा, एम. वीएससी, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक, आईसीएआर, बी-4, सेक्टर-12, नौएडा-201301 (उत्तर प्रदेश) | सदस्य धारा 5(1)(ग) के अधीन |
| 10. डॉ. (सुश्री) एम लाहकर, एमबीबीएस, एमडी, प्रोफेसर, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, गुवाहाटी | सदस्य धारा 5(1)(घ) के अधीन |
| 11. डॉ. सुनील कुमार, उप-निदेशक, प्रभारी, केंद्रीय शोध संस्थान (एच), ए-1/1, सेक्टर-24, नौएडा (उत्तर प्रदेश), सीसीआरएच के प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(घ) के अधीन |
| 12. नगर निगम, कोलकाता, का एक प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(ङ) के अधीन |
| 13. नगर निगम, गुडगाँव, का एक प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(ङ) के अधीन |
| 14. श्रीमती आमला अकेनी, ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(च) के अधीन |
| 15. श्रीमती नोरमा अलवेरस, पीपल फॉर एलीमिन्स गोवा के प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(च) के अधीन |

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 16. | श्री गुलजारी लाल सोनी, राजस्थान पिंजरापोल समिति, फतेहपुर, राजस्थान के प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(च) के अधीन |
| 17. | श्रीमती अंजली शर्मा, सोसायटी फॉर प्रिवेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनीमल्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(ड) के अधीन |
| 18. | श्री दौलत जैन, सोसायटी फॉर प्रिवेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनीमल्स, चैन्नई, के प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(ड) के अधीन |
| 19. | डॉ. जे. सी. कोचर, सोसायटी फॉर प्रिवेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनीमल्स, चण्डीगढ़, के प्रतिनिधि | सदस्य धारा 5(1)(ड) के अधीन |
| 20. | श्री हेम पाण्डे, आई ए एस, संयुक्त सचिव (पशु कल्याण), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | सदस्य धारा 5(1)(ज) के अधीन |
| 21. | श्री राजीव गुप्ता, आई ए एस, उत्तराखण्ड सरकार | सदस्य धारा 5(1)(ज) के अधीन |
| 22. | श्री असगर सामून, आई ए एस, जम्मू एंड कश्मीर सरकार। | सदस्य धारा 5(1)(ज) के अधीन |
- उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डा. आर. एम. खरब, सदस्य, को भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तथा डॉ. एस. चिन्नी कृष्णा, सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनित करती है।

[फा. सं. 11/01/2010-ए डब्ल्यू डी]

अंजनी कुमार, निदेशक (ए डब्ल्यू)

टिप्पणी : भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी इससे पूर्व अधिसूचना संख्या का.आ. 918(अ), दिनांक 12 अगस्त, 2004, का.आ. 24(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2005, का.आ. 667(अ), दिनांक 9 मई, 2006, का.आ., 2005(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2007 का.आ. 2981(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 2008, का.आ. 3077(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2010

S.O. 2882(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with sub-section (1) of Section 5A of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby reconstitutes the Animal Welfare Board of India consisting of the following persons as its Members, with effect from the date of publication of this notification, namely:—

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Director General of Forests, Ministry of Environment and Forests, New Delhi | Member (ex-officio) under Section 5(1)(a) |
| 2. | The Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture, New Delhi | Member (ex-officio) under Section 5(1)(b) |
| 3. | Shri Sada Kant, JS (Police II)—Representative of Ministry of Home Affairs | Member under Section 5(1)(ba) |
| 4. | The Representative of Ministry of Human Resources Development | Member under Section 5(1)(ba) |
| 5. | Shri A.K. Srivastava, Inspector General of Forest (Wildlife), Ministry of Environment & Forest | Member under Section 5(1)(bb) |
| 6. | Maj Gen (Retd) Dr. R.M. Kharb, 3767, Sector-23, Gurgaon,-122017. | Member under Section 5(1)(bc) |
| 7. | Dr. S. Chinni Krishna, 398, TTK Road, Chennai-600018 | Member under Section 5(1)(bc) |
| 8. | Ms. Jasjit Purewal, B-5/197, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029. | Member under Section 5(1)(bc) |
| 9. | Dr. Arun Varma, M.V.Sc, Ex. ADG, ICAR B-4, Sector-12, NOIDA-201301, U.P. | Member under Section 5(1)(c) |
| 10. | Dr. (Mrs.) M. Lahkar, MBBS, MD, Professor Government Medical College, Gauhati. | Member under Section 5(1)(d) |

- | | |
|--|------------------------------|
| 11. Dr. Sunil Kumar, Dy. Director Incharge, Central Research Institute (H), A-1/1 Sector-24, NOIDA,(U.P) Representative of CCRH. | Member under Section 5(1)(d) |
| 12. Representative of Municipal Corporation of Kolkata | Member under Section 5(1)(e) |
| 13. Representative of Municipal Corporation of Gurgaon | Member under Section 5(1)(e) |
| 14. Smt. Amala Akkineni, Representative of Blue Cross of Hyderabad | Member under Section 5(1)(f) |
| 15. Smt. Norma Alvares, Representative of Peoples for Animals Goa | Member under Section 5(1)(f) |
| 16. Shri Guljari Lal Soni, Representative of Rajasthan Pinjrapole Society, Fathehpur | Member under Section 5(1)(f) |
| 17. Mrs. Anjali Sharma, Representative of SPCA, NOIDA | Member under Section 5(1)(g) |
| 18. Shri Doulat Jain, Representative of SPCA, Chennai | Member under Section 5(1)(g) |
| 19. Dr. J.C. Kochar, Representative of SPCA, Chandigarh | Member under Section 5(1)(g) |
| 20. Shri Hem Pande, IAS, Joint Secretary, (Animal Welfare), Ministry of Environment and Forests, Government of India | Member under Section 5(1)(h) |
| 21. Shri Rajiv Gupta, IAS, Government of Utrakhand | Member under Section 5(1)(h) |
| 22. Shri Asgar Samoon, IAS, Government of J & K | Member under Section 5(1)(h) |

The Central Government hereby nominates Maj. General (Retd.) Dr. R.M. Kharb, AVSM, Member to be the Chairman and Dr. S. Chinni Krishna, Member to be the Vice Chairman of the Animal Welfare Board of India as per sub-section (3) of Section 5 of the aforesaid Act.

[F. No. 11/1/2010-AWD]

ANJANI KUMAR, Director (AW)

Note :—The earlier notification regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 2005(E), dated 29-11-2007, S.O. 2981(E), dated 29-12-2008 and S.O. 3077(E), dated 30-11-2009.